न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 178/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

बजाज हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुकेश मेघवंशी
रजिस्टर्ड कार्यालयः– मुंबई–पुणे रोड़, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र–411035
शाखा कार्यालयः– तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टॉवर, जय क्लब, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रमेश कुमार फतेहचन्दका,** जाति महाजन, पता–वार्ड सं. 15, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर (राज.)
2. **डिम्पल अग्रवाल,** पता–वार्ड सं. 15, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण(ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री रामस्वरूप शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एंव 2 क्रमशः **रमेश कुमार फतेहचन्दका** एवं **डिम्पल अग्रवाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रमेश कुमार फतेहचन्दका** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **दुकान संख्या 3, नया वार्ड सं. 12, धानुका कन्या महाविद्यालय के पास, धानुका कॉम्पलेक्स, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 17.68 वर्गगज**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दुकान सं. 2, पश्चिम दिशा में दुकान सं. 4 शंकरलाल धानुका, उत्तर दिशा में गैलेरी 11 फुट 3 ईंच चौड़ा रास्ता एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता की सम्पत्ति स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹12,78,481/– रूपये (अक्षरे रूपये बारह लाख अठत्तर हजार चार सौ इक्यासी)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **24.01.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **24.01.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटोप्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एंव 2 क्रमशः **रमेश कुमार फतेहचन्दका** एवं **डिम्पल अग्रवाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रमेश कुमार फतेहचन्दका** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **दुकान संख्या 3, नया वार्ड सं. 12,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

धानुका कन्या महाविद्यालय के पास, धानुका कॉम्पलेक्स, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 17.68 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दुकान सं. 2, पश्चिम दिशा में दुकान सं. 4 शंकरलाल धानुका, उत्तर दिशा में गैलेरी 11 फुट 3 ईंच चौड़ा रास्ता एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता की सम्पत्ति स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर